अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2007

(आय-कर)

का.आ. 856(अ).–आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा :–

(क) निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर निदेशक, जिसका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, आय- कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय-XIII ग के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेंगे तथा पूरे भारत में इससे संबंधित कार्यों को संदत्त करेंगे ;

(ख) नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर निदेशक को भूभागीय क्षेत्रों, जो ऐसे आदेशों में विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं, के संबंध में अपने अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारियों से किसी आदेश द्वारा अधिकारों के प्रयोग एवं कार्यों के निष्पादन के लिए लिखित में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	आय-कर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आय-कर निदेशक (आसूचना), दिल्ली	नई दिल्ली	अखिल भारत

2. यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

[अधिसूचना सं. 199/2007/फा. सं. 187/05/2007-आय-कर नि.-I]

दीपक गर्ग, अवर सचिव